न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 17 / 2014 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा।	बनाम	अब्दुल हलीम पुत्र हाजी शेख मोहम्मद उम्र 65 वर्ष जाति मुसलमान निवासी ढेम्बा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर चौहटन के राजस्व आवेदन संख्या 173/2010 बनवान सरकार बनाम अब्दुल हलीम में पारित निर्णय दिनांक 19.09.2013 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थित

1. वकील श्री हाजी खां राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट की ओर से
2. वकील श्री महेन्द्र कुमार रामावत रेस्पोडेण्ट की ओर से

निर्णय

दिनांकः— 10.06.2019

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार चौहटन द्वारा एक प्रार्थना–पत्र न्यायालय सहायक कलक्टर, बाड़मेर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63(1)(8) के अन्तर्गत पेश कर निवेदन किया गया कि विप्रार्थी अवैध रूप से बिना वैध पासपोर्ट ही पाकिस्तान चला गया है अतः उसकी ग्राम ढेम्बा में स्थित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 20 रकबा 04.08 बीघा, खसरा संख्या 45 रकबा 12.19 बीघा, खसरा संख्या 50 रकबा 18.13 बीघा, खसरा संख्या 130 रकबा 08.05 बीघा, खसरा संख्या 163 रकबा 06.02 बीघा, खसरा संख्या 231 रकबा 138.08 बीघा कुल रकबा 202.15 बीघा को खालसा सरकार घोषित किया जावे। पटवारी हल्का सांवा तहसील चौहटन की घटना बही के घटना दिनांक 30.10.1985 के अनुसार उतरदाता अवैध रूप से एवं बिना वैध पासपोर्ट के पाकिस्तान चला गया तथा वहां कुछ समय रहने के बाद पुनः अवैध रूप से भारत आया, जिस पर उतरदाता के विरूद्ध अवैध रूप से बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान जाने पर पुलिस थाना सेड़वा में सी.आर. नम्बर 45/86 अन्तर्गत धारा 3/6 आई.पी.पी.आर. के तहत दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान उतरदाता के विरूद्ध आरोप पत्र श्रीमान अपर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर में पेश किया जिससे यह साबित है कि उतरदाता अपनी भूमि का पूर्ण रूप से परित्याग कर अवैध रूप से बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान चला गया था जिससे उक्त भूमि का राज्य सरकार के खाते में खालसा की गई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय तथ्य को अनदेखा कर पारित किया गया। पटवारी हल्का ने गांव के मौतबिरान के रूबरू जांच की गई जिसमें गांव के मौतबिरान से पूछताछ कर वास्तविक रूप से पता चला कि उतरदाता अपने परिवार सहित पाकिस्तान चले गये। अधीनस्थ न्यायालय ने उतरदाता के गवाहों के मात्र मौखिक बयानों के आधार पर उतरदाता को पाकिस्तान नहीं जाना बताकर गुजरात में मजदूरी करने जाने हेतु बताया गया है जबकि ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत पारित नहीं किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि पटवारी हल्का सांवा तहसील चौहटन की घटना बही के घटना दिनांक 30.10.1985 के अनुसार उतरदाता अवैध रूप से एवं बिना वैध पासपोर्ट के पाकिस्तान चला गया तथा वहां कुछ समय रहने के बाद पुनः अवैध रूप से भारत आया, जिस पर उतरदाता के विरूद्ध अवैध रूप से बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान जाने पर पुलिस थाना सेड़वा में सी.आर. नम्बर 45/86 अन्तर्गत धारा 3/6 आई.पी.पी.आर. के तहत दर्ज किया जाकर बाद अनुसंधान उतरदाता के विरूद्ध आरोप पत्र श्रीमान अपर मुंसिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर में पेश किया जिससे यह साबित है कि उतरदाता अपनी भूमि का पूर्ण रूप से परित्याग कर अवैध रूप से बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान चला गया था जिससे उक्त भूमि का राज्य सरकार के खाते में खालसा की गई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय तथ्य को अनदेखा कर पारित किया गया। पटवारी हल्का ने गांव के मौतबिरान के रूबरू जांच की गई जिसमें गांव के मौतबिरान से पूछताछ कर वास्तविक रूप से पता चला कि उतरदाता अपने परिवार सहित पाकिस्तान चले गये। अधीनस्थ न्यायालय ने उतरदाता के गवाहों के मात्र मौखिक बयानों के आधार पर उतरदाता को पाकिस्तान नहीं जाना बताकर गुजरात में मजदूरी करने जाने हेतु बताया गया है जबकि ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत पारित नहीं किया गया है जो

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि धारा 3/6 आई.पी.पी.आर. में रेस्पोडेंट को बरी कर दिया गया। कानूनन हमेशा के लिए बिना पासपॉर्ट के विदेश जाने पर जमीन खालसा होती है। रेस्पोडेंट को नोटिस मिलते ही न्यायालय में हाजिर होकर उजरदारी पेश की है। संपूर्ण गिरदावरी की नकले पेश की है। रेस्पोडेंट का वादग्रस्त आराजी पर लगातार कब्जा-काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के दखल की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 म्याद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि निर्णय की जानकारी देरी से होने एवं अपीलांट विधानसभा चुनाव 2013 में व्यस्त होने के कारण उक्त अपीलाधीन आदेश की प्रति प्राप्त नहीं कर सका तथा विधानसभा चुनाव होने के बाद अपीलांट ने दिनांक 13.01.2014 को आवेदन प्रस्तुत कर उसी दिन अपीलाधीन निर्णय की प्रति प्राप्त की तथा जिला कलक्टर बाड़मेर से अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्राप्त की तथा अनुमति प्राप्त कर यह अपील सम्यक तत्परता के साथ पेश की जा रही है तथा जानकारी के बाद अपील अन्दर मियाद पेश की गई अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना-पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियाद बाहर पेश की गई है एवं विलंब का कोई संतोषप्रद कारण भी नहीं बताया। अपीलांट द्वारा किया गया विलंब सदभाविक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियाद के बिंदु पर खारिज फरमायी जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उतरदाता संख्या 01 को वर्ष 1985 तदनुसार संवत 2042 में पाकिस्तान जाना प्रतिवेदित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

है लेकिन पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य निसंदेह यह तथ्य साबित नहीं करते हैं। वादग्रस्त जिस भूमि को निर्वापित करना बताया गया है वह राजस्व रिकॉर्ड गिरदावरी रिपोर्टों में तत्समय एवं बाद भी उसके स्वयं के कब्जे काश्त में आज दिन तक रहीं है। पुलिस थाना सेड़वा की सी/आर नं. 45/85 अंतर्गत धारा 3/6 इंडियन पासपोर्ट एक्ट तथा हल्का पटवारी सावां की घटना बही और उनमें उल्लिखित गवाहों के कथनों एवं प्रतिपरीक्षा में उजागर किये गए तथ्य भी उतरदाता संख्या 01 को बिना वैधानिक रूप से तथा बिना पासपोर्ट के पाकिस्तान जाना सिद्ध नहीं कर पाए हैं। उक्त आपराधिक प्रकरण में भी माननीय न्यायालय द्वारा उसे दोषमुक्त करार दिया जा चुका है। तहसीलदार चौहटन ने भी प्रारंभिक रूप से प्रकरण का विचारण किया जिसमें भी यही नतीजा था। बाद में अन्य राजस्व न्यायालयों में भी मामले में कोई नवीन तथ्य या साक्ष्य का अभाव रहा है और इसलिए उनमें भी यथावत विचारण हुआ है। अपीलाधीन निर्णय का विश्लेषण प्रस्तुत अभिलेखीय/मौखिक साक्ष्यों के आलोक में किया जाने पर पाया गया है कि निर्णय पूर्ण विवेचना पर आधारित है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि इंगित नहीं होती है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर चौहटन द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 173/2010 बअनवान सरकार बनाम अब्दुल हलीम में पारित निर्णय दिनांक 19.09.2013 को यथावत रखा जाता है।

10/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 10.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner